रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253047
CG-DL-E-15032024-253047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945
No. 190] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

सा.का.नि. 203(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2024 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची 2 की मद 6 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"6. वेतन मैट्रिक्स में 13क स्तर तक प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) या समामेलन या प्रतिनियुक्ति /प्रोन्नति (संयुक्त पद्धति) से भरे जाने वाले सभी समूह 'क' और समूह 'ख' पद" ।

[फा. सं. -39018/03/2023-स्था.(ख)]

मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव

(470)

टिप्पण – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 789 तारीख 13 सितंबर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 502 तारीख 13 जुलाई, 2023 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

G.S.R. 203(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission(Exemption from Consultation) Regulations, 1958, namely:-\

1. **Short title and commencement:-** (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, in Schedule-II, for item 6, the following item shall be substituted, namely:-

"6. All Group 'A' posts and all Group 'B' posts up to level 13A in the pay matrix, filled by the method of deputation/re-employment or deputation (including short term contract) or absorption or deputation/promotion (composite method)".

[F. No. 39018/03/2023-Estt.(B)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 789, dated the 13th September, 1958 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 502 (E), dated the 13th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

RRs - AD(DM)

(४७)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.230.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, सहायक निदेशक (आपदा प्रबंधन), भर्ती नियम, 2015 का, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक (आपदा प्रबंधन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ -**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सहायक निदेशक (आपदा प्रबंधन) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और पे-मेट्रिक्स में लेवल-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी अपनी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों में निहित कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (आपदा प्रबंधन)	05* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में लेवल-10	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख, भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी (तथा यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पिति जिले तथा चम्बा जिला के पांगी उप संभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
<u>अनिवार्य शैक्षिक</u> अर्हताएं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/गणित/ सांख्यिकी/ऑपरेशन अनुसंधान में से किसी एक विषय में मास्टर डिग्री; **<u>अनुभव</u>** किसी सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत निकाय अथवा विश्वविद्यालय या कानूनी निकाय में साख्यिकीय आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण में पांच वर्ष का अनुभव **<u>वांछनीय:</u>** आपदा प्रबंधन में डिप्लोमा और अनुतोष प्रचालन को संभालने का अनुभव **<u>टिप्पण :1</u>** अर्हताएं अन्यथा अर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए, शिथिल की जा सकती हैं। **<u>टिप्पण :2</u>** अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हां।	एक वर्ष	20% सम्मिश्रित पद्धिति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रोन्नति] द्वारा 80% प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आमेलन द्वारा, जैसा भी मामला हो: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी संगठनों या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 वाले पदों अथवा समतुल्य पदों पर नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग अथवा विभाग में उस ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की है; **और** (ख)जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (डी पी सी) में (स्थायी किए जाने के संबंध में विचार करने के लिए) :-** 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) गृह मंत्रालय - सदस्य 3. निदेशक (प्रशा.)/ उप सचिव गृह मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

473

टिप्पण 1: वेतन मेट्रिक्स में लेवल-8 में दो वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले विभागीय तकनीकी अधिकारी (मॉनीटरिंग) पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका उक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति से भरा हुआ पद की समझा जाएगा। **टिप्पण 2 :** केवल केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र से पदधारियों के आमेलन के लिए विचार किया जाएगा। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 5:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा, सिवाए उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का वेतन मेट्रिक्स में सामान्य लेवल सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है, तथा वहां इस लाभ को केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वेतन मेट्रिक्स में वह लेवल, बिना किसी स्तरोन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मेट्रिक्स में तदनुरूपी लेवल में की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. V]

डी. एस. परिहार, अवर सचिव

New Delhi, the 29th November, 2016

G.S.R.230.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Assistant Director (Disaster Management), Recruitment Rules, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Disaster Management), in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement. —** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Assistant Director (Disaster Management), Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, Level in the PAY MATRIX**— The number of post, its classification and Level in the PAY MATRIX attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** —No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living: or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

474

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	LEVEL in the Pay MATRIX	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Disaster Management)	05*(2015) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-10 in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govt. servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Island or Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualificatios prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment**: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption ,grades from which promotion deputation/absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential Education Qualification:- Master's Degree in Economics/ Commerce/Mathematic Statistics/Operations Research from a recognized University; **Experience:** Five years experience in compilation, presentation and analysis of Statistical data in a Government Office or Public Sector Undertaking or	Age: No Educational Qualification : Yes	One Year	20% by Composite Method {Deputation (including short-term Contract plus promotion)} 80% by Deputation (including short-term Contract)/Absorption failing which by direct recruitment.	By Deputation (including short-term Contract) plus promotion or as, the case may be: by Deputation (including short term contract)/ absorption: Officers under the Central Government or a State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institutions or Universities or Semi

Autonomous Organization or Universities or Statutory Body. **Desirable:** Diploma in Disaster Management and experience in handling relief operations. **Note:1** The Qualification are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note:2** The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.				Government Organizations or Statutory Organizations or Autonomous Organizations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-8 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note 1:** The Departmental Technical Officer (Monitoring) in Level-8 in the Pay Matrix with two years' regular service shall also be considered and in case such person is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:** The officials from Central Government, State Government and Union Territories shall only be considered for absorption. **Note 3:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 4:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation (including short term contract)

(476)

				shall be not exceeding fifty-six year as on the closing date of receipt of applications. **Note 5:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the Pay MATRIX extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common LEVEL in the Pay MATRIX and where this benefit will extend only for the post (s) for which that LEVEL in the Pay MATRIX is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making the recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1. Joint Secretary (Administration) : Chairperson 2 Joint Secretary (Disaster Management) : Member 3. Director/ Deputy Secretary (Admn.) : Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F.No. A-12018/02/2016-Ad.V]

D. S. PARIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सा.का.नि.231.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, प्रभाग, गृह मंत्रालय] भर्ती नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. इन नियमों का नाम लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, प्रभाग, गृह मंत्रालय] भर्ती नियम, 2016 है।